## ।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 6263 /12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जून 25 /2026

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
कर्णप्रयाग।

**विषयः—** **जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में घाट–रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरूड़ से कुण्डबगड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.810 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0 FK/UK/Road/18867/2016.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में घाट–रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरूड़ से कुण्डबगड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.810 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हुए पांच वर्ष पूर्ण हो चुके है, फलस्वरूप उक्त प्रकरण हेतु एन0पी0वी0 की बढ़ी हुए दर एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वर्तमान दरों के अनुसार अवशेष धनराशि जमा की जानी है, जिसके क्रम में अवगत करना है कि विषयांकित प्रकरण हेतु निम्न तालिका–1 के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर एवं तालिका–2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वर्तमान दरों के अनुसार अवशेष धनराशि निम्नानुसार जमा करते हुए इस कार्यालय को सूचित करें–

**तालिका–1**

| एन0पी0वी0 हेतु | ईको क्लास | क्षेत्रफल (है0 में) | Stage-I दिनांक | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन0पी0वी0 की धनराशि (रू0 में) | | | वर्तमान में निर्धारित नई दरों के अनुसार एन0पी0वी0 का आकलन | | | जमा किये जाने वाली अवशेष धनराशि (रू0में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | औसत घनत्व | दर प्रति है0 | धनराशि (रू0 में) | औसत घनत्व | दर प्रति है0 | धनराशि (रू0 में) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | V | 0.81 | 31-12-2018 | 0.3 | 65700.00 | 532170.00 | 0.3 | 1005210.00 | 814220.10 | 282050.00 |

**तलिका–2**

| क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु | परियोजना का क्षेत्रफल (है0 में) | परियोजना में प्रभावित वृक्षों की संख्या | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वृक्षों की संख्या | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि (रू0 में) | | वर्तमान में निर्धारित नई दरों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का आकलन | | जमा किये जाने वाली अवशेष धनराशि (रू0में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | दर प्रति वृक्ष | धनराशि (रू0 में) | दर प्रति वृक्ष | धनराशि (रू0 में) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0.81 | 08 | 100 | 1331.00 | 133100.00 | 2357.00 | 235700.00 | 102600.00 |

अतः विषयांकित प्रकरण में एन0पी0वी0 की अवशेष धनराशि हेतु उपरोक्त तालिका–1 के कॉलम सं0 10 में अंकित रू0 282050.00(दो लाख बयासी हजार पचास रू0 मात्र) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की अवशेष धनराशि हेतु तालिका–2 के कॉलम सं0 8 में अंकित रू0 102600.00 (एक लाख दो हजार छह सौ रू0 मात्र) की धनराशि को ऑनलाईन चालान के माध्यम से यथाशीघ्र जमा कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner